न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/422

1. मृतक मुरलीधर पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण जरिये कायममुकामान :–
   1/1. राजेन्द्र आत्मज मुरलीधर जाति ब्राह्मण ।
   1/2. मुकेश आत्मज मुरलीधर जाति ब्राह्मण ।
   1/3. शांति देवी बेवा मुरलीधर जाति ब्राह्मण ।
2. रमेश आत्मज मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासीगण 183 कृष्णा बिहार कुन्हाडी, कोटा ।
3. देवलाल पुत्र प्रभूलाल जाति ब्राह्मण निवासी भाण्डाहेडा ।
4. मुरलीधर आत्मज घांसी जाति मीणा ।
5. रामनारायण पुत्र रामप्रताप जाति मीणा ।
6. रामविलास मृतक जरिये कायममुकामान :–
   6/1. कुरदीप पुत्र रामविलास जाति मीणा ।
7. सुरेश आत्मज घांसीलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

बनाम

मंदिर श्री चोमेश्वर महादेव जी ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा जरिये पुजारी दीपा पुत्री अर्जुन जाति ब्राह्मण निवासी चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री संजय पाटौदी अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भुवनेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.11.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चौमा मालियान में कुल 22 किता की रकबा 17.09 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि मंदिर चोमेश्वर महादेव जी के खाते में दर्ज चली आ रही है । उक्त मंदिर की सेवा पूजा वादिनी के नाना श्री गणेश लाल व उनके भ्राता मुरलीधर प्रतिवादी कम 1 बारी–बारी से करते चले आ रहे थे और गणेश जी व मुरलीधर जी वादग्रस्त आराजी में 1/2– 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे थे । वादग्रस्त आराजी में से कुल 10 किता की रकबा 9.82 हैक्टर भूमि को दीपा के नाना गणेश अलग काश्त करने लगे थे । गणेश लाल ने अपने जीवनकाल में अपनी इच्छा से एक वसीयत दिनांक 05.06.2004 को आलेखित की जिसे उप पंजीयक दीगोद के समक्ष पंजीबद्ध करवाया । तब से वादिनी दीपा उक्त भूमि पर काश्त कर रही है व मंदिर चोमेश्वर महादेव जी की सेवा पूजा करती चली आ रही है । प्रतिवादीगण वादिनी को उनकी भूमि पर कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते हैं जिन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक है ।

3. अतः वाद वादिनी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी में से कुल 10 किता की रकबा 9.82 हैक्टर पर प्रतिवादीगण वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा शांतिपूर्वक वादिनी को काश्त करने दे ।

4. प्रतिवादीगण कम 1 व 2 ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. तत्पश्चात् दिनांक 18.05.2018 को वादिनी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 व 03 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि प्रस्तुत वाद मुरलीधर जी से विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था चूँकि मुरलीधर जी का स्वर्गवास हो चुका है तथा मंदिर महादेव जी की भूमि को वादिनी दीपा व प्रतिवादी शांतिपूर्वक आधी–आधी काश्त करते चले आ रहे हैं । इसलिए वादिनी उक्त मुदकमे को अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए एवं भविष्य में आवश्यकता होने पर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रो करना चाहती है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रो के आधार पर वाद खारिज करने का आदेश पारित करें ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.05.2018 के द्वारा वादिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादिनी को नवीन वाद पेश करने की स्वीकृति के साथ विड्रो किये जाने के आदेश पारित किये ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि निर्णय दिनांक 18.05.2018 से पूर्व ही प्रतिवादी रामप्रताप, रामविलास एंव घांसी लाल की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है तथा मृतक व्यक्ति के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय वादिनी का वाद विड्रो के आधार पर खारिज कर सकते हैं परन्तु अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नया वाद

प्रस्तुत की अनुमति प्रदान की है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा विड्रो के आधार पर वाद खारिज किया गया है परन्तु डिक्री बनाने में कानूनी त्रुटि की गई है । निर्णय की दिनांक 18.05.2018 से पूर्व ही प्रतिवादी रामप्रताप, रामविलास एवं घांसी लाल की मृत्यु हो चुकी थी । मृत व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित किया गया है । नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय दावे को विड्रो के आधार पर खारिज कर सकते थे परन्तु अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नया दावा पेश करने की अनुमति दी है । प्रार्थना पत्र में वादिनी के द्वारा ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया है कि किस प्रकार का दावा पेश करना चाहते हैं, दावे में कोई संशोधन चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय आदेश 23 नियम 01 व 03 की भावना के विपरीत पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश को निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि आदेश 23 नियम 01 व 03 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें नया दावा पेश करने की अनुमति मांगी गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से स्वीकार कर निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र वादी की ओर से पेश कर यह कथन किया गया कि प्रतिवादी मुरलीधर के खिलाफ एक दावा पेश किया था । मुरलीधर को देहान्त हो चुका है । मंदिर महादेव जी की जमीन को वादिनी दीपा व प्रतिवादी शांतिपूर्वक आधी–आधी काश्त करते चले आ रहे हैं । इसलिए वादिनी उक्त मुदकमे को अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए एवं भविष्य में आवश्यकता होने पर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रो करना चाहती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावे को (as withdrawn) खारिज करने के आदेश दिये हैं । साथ ही वादिनी को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी है । नियमानुसार नया वाद पेश करने की स्वीकृति उन परिस्थितियों में दी जाती हे जब वादी अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करे कि इस दावे में कौन की तकनीकी कमी है जिसे दुरूस्त करते हुए नया दावा पेश करना चाहते हैं] परन्तु वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि भविष्य में आवश्यकता पडने पर नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावे । इस प्रकार की अनुमति विधिक प्रावधानों के तहत नहीं दी जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा विड्रो करने के साथ नया दावा पेश करने की अनुमति प्रदान करने में त्रुटि की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2018 में यह संशोधन किया जाता है कि वादिनी का दावा (as withdrawn) खारिज किया जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 25.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/11/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा